



2026:AHC: 56190

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 7227 वर्ष 2026

बद्री नारायण एवं अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	शक्ति शंकर तिवारी, सुभाष चंद्र तिवारी
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष चंद्र तिवारी ने निवेदन किया है कि उन्होंने बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत वर्तमान आवेदन उस राहत के साथ दायर किया है जिसका उल्लेख आवेदन के प्रार्थना खंड में किया गया है।
2. आवेदन में जिस राहत का उल्लेख किया गया है, वह नीचे वर्णित है:-

"अतः यह अत्यंत ससम्मान प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक वर्तमान आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करे और आगे विद्वान विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट, प्रयागराज द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 972 वर्ष 2005 (राज्य बनाम बच्चा @ राजेंद्र एवं अन्य) के अंतर्गत धारा 323, 504, 506 आई.पी.सी. एवं 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट, मुकदमा अपराध संख्या 40/94, थाना बहरिया, जनपद प्रयागराज में पारित गैर-जमानती वारंट के विवादित आदेश दिनांक 31.07.2025 को निरस्त करने की कृपा करे। साथ ही, विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट की अदालत में लंबित सत्र परीक्षण संख्या 972 वर्ष 2005 (राज्य बनाम बच्चा @ राजेंद्र एवं अन्य) के अंतर्गत धारा 323, 504, 506 आई.पी.सी. एवं 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट, केस अपराध संख्या 40/94, थाना बहरिया, जनपद प्रयागराज को न्यायहित में निस्तारित करने का निर्देश देने की कृपा करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

यह आगे प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक विद्वान विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, प्रयागराज द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 972 वर्ष 2005 (राज्य बनाम बच्चा @ राजेंद्र एवं अन्य) के अंतर्गत धारा 323, 504, 506 आई.पी.सी. एवं 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट, केस अपराध संख्या 40/94, थाना बहरिया, जनपद प्रयागराज में पारित गैर-जमानती वारंट के विवादित आदेश दिनांक 31.07.2025 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की कृपा करे, जो कि न्यायहित में आवश्यक है।"

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकों को उनके जमानत बांड और प्रतिभूतियां जमा करने पर जमानत पर रिहा किया गया था। उनका आगे निवेदन है कि पहली बार आवेदकों के विरुद्ध 31.07.2025 को गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था और अगली तिथि 16.10.2025 तय की गई थी, और उसके बाद सीआर.पी.सी. की धारा 82 की कार्यवाही के संबंध में आदेश दिनांक 24.02.2026 पारित किया गया है।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह तर्क है कि आज तक न तो जमानत बांड और न ही प्रतिभूतियां रद्द की गई हैं और न ही जब्त की गई हैं। वह यह वचन देते हैं कि आवेदक भविष्य में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए तैयार हैं और वे बिना किसी अपरिहार्य कारण के कोई स्थगन नहीं मांगेंगे, इसलिए, जब तक आवेदक-अभियुक्त सहयोग करते हैं, तब तक गैर-जमानती वारंट को स्थगित रखा जाए।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता, श्री शशिधर पांडे ने निवेदन किया है कि यदि आवेदक मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करने और भविष्य में प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होने का वचन देते हैं, तो न्याय के हित में गैर-जमानती वारंट और सीआर.पी.सी. की धारा 82 के तहत कार्यवाही को स्थगित रखा जा सकता है।

6. यह न्यायालय, बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित विचारण न्यायालय को कानून के अनुसार मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ाने का निर्देश देता है। विद्वान विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, प्रयागराज द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 972/2005 (राज्य बनाम बच्चा उर्फ राजेंद्र एवं अन्य), धारा 323, 504, 506 आई.पी.सी. और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(10), थाना बहरिया, जिला प्रयागराज से संबंधित मामले में पारित गैर-जमानती वारंट दिनांक 31.07.2025 और सीआर.पी.सी. की धारा 82 के तहत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कार्यवाही का प्रभाव और क्रियान्वयन, मुकदमे की कार्यवाही में आवेदक-अभियुक्त के सहयोग और उपस्थिति तक स्थगित रखा जाएगा।

7. यदि आवेदक मुकदमे की कार्यवाही से बचते हैं, तो विचारण न्यायालय आगे की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें जमानत बांड और प्रतिभूतियों को रद्द करना और उन्हें जब्त करना शामिल है, और उसके बाद आवेदकों-अभियुक्तों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

8. आवेदन **निस्तारित** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी)

19 मार्च, 2026

के. तिवारी